

फर्द अहकाम

नियम 26

जज न्यायालय.....सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा.....मुकाम.....भादरा.....

.....कमलाबनाम्.....बलराज

किस्म मुकदमा..... RTAct. 212नं० 36/17सन्..... 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
07.07.17	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील सायलान के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिगोदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील सायलान की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर गैरसायल के विरुद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की जाती है कि रोही मौजा सूरतपुरा के खाता सं० 17/18 के मु०न० 117 के किला न० 19, 22 व मु० न० 182 के किला न० 23, 24 व मु० न० 191 के किला न० 1, 2, 3, 4, 7/2, 8 9, 10, 11, 12, 13/2, 14/2, की कुल 3.6550 है० जिसमें बारानी 3.6420 है०, गै० मु० रास्ता 0.0130 बारानी खातेदारी कृषि भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तथा आगामी तारीख पेशी (30 दिवस) तक गैरसायलान की तलबी नहीं होने पर पर यह स्थगन आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या बकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। गैर सायलान को जरिगे नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 4-8-17 को पेश है।	1-

23-11-17 का नमूना
R/W

23¹¹/₁₇

पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी... 23-11-17 का नमूना पत्र
दिनांक... 23¹¹/₁₇ को पेश हो।

12/12/17

अब कोच
कोचवादी
नहीं पाएगी
कॉन्टि
काम

आज यह पत्रावली प्राथमिक रेल परिषद
द्वारा प्राथमिक पर प्रस्तुत करने पर-वेस्ट के
लीडर / प्रमोशन विभाग के पास के
काले कॉपी के साथ प्रस्तुत करने पर प्राथमिक
पर 212 RTA के चलने में रुकावट नहीं है

पत्रावली
कोचवादी

कारण: - म.प्र. रेल (अ.स.) अधिनियम 1969
विधिवत म.प्र. रेल 7.7.17 को अधिनियम द्वारा
लागू किया गया प्राथमिक पर 212 RTA के
चलने में रुकावट नहीं होने का कारण कॉपी के साथ
साथ ही कलेक्टर द्वारा जारी की गई प्रतिलिपि
संलग्न की जा रही है

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भावरा (हनु.)